



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2009/श्रावण 2, 1931

No. 129]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2009/SRAVANA 2, 1931

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 जून, 2009

सं. एल-7/105(121)/2007-केविचिआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारोषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 द्वारा यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारोषण में निर्बाध पहुंच) (संशोधन) विनियम, 2009 है को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाएगा, अर्थात् :—

1. विनियम 8 के खंड (4) की दूसरे परंतुक में, "विनियम 9 के खंड (1)" शब्दों तथा अंकों का लोप किया जाएगा।
2. विनियम 25 के खंड (6) में, "अंतःराज्यिक इकाई" वाक्यांश के स्थान पर "राज्य उपयोगिता" वाक्यांश रखे जाएंगे।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/09-असा.]

टिप्पण : केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारोषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 7 फरवरी, 2008 को प्रकाशित किए गए थे। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारोषण में निर्बाध पहुंच) (संशोधन) विनियम, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 29 मई, 2009 को प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY
REGULATORY COMMISSION
CORRIGENDA

New Delhi, the 10th June, 2009

No. L-7/105(121)/2007-CERC.—The following regulations of the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-State Transmission) Regulations, 2008 as amended *vide* the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-State Transmission) (Amendment) Regulations, 2009 shall be corrected as under, namely :—

1. In the second proviso to clause (4) of regulation 8, the words and figures "under clause (1) of regulation 9" shall be omitted.
2. In clause (6) of regulation 25, the phrase "an Inter-State entity" shall be substituted by the phrase "a State utility".

ALOK KUMAR, Secy.
[ADV T III/4/150/09-Exty.]

Notes : The Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-State Transmission) Regulations, 2008 were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 7th February, 2008. The Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-State Transmission) (Amendment) Regulations, 2009 were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 29th May, 2009.